रा.पु.मु.ज./5–99/70,000 प्रपत्र सं. 1 का पृष्ठ सं. –1 प्रपत्र : 1 कुल पृष्ठ –

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला.चौकी ,एसीबी,स्पेशल यूनिट अजमेर, थाना. सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष ... 2022........................
   प्र. ई. रि. स. .... 90/2022 .... दिनांक 14/3/2022
   (अ) अधिनियम. भ्र. नि. (संशोधित) अधिनियम 2018 ......धारायें... धारा 7 पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018....
   (ब) अधिनियम.. धारायें.............................201 भा0द0सं0..................................
   (स) अधिनियम ....धारायें...
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....
2. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ....285...... समय........6:00 P.M..
   (ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक :– **बुधवार 13.03.2022 समय** 02.08 **पी.एम**....................................
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 13.02.2022 समय. 10.38 पीएम...
3. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – मौखिक
4. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – पूर्व 100 कि.मी...
   (ब) पता – निजामुददीन राठौड की गली चमनपुरा मौहल्ला मकराना जिला नागौर।.................................
   बीट सख्या ....जरायमदेही सं...
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना...जिला...
5. परिवादिया/सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम श्री बनवारी लाल...
   (ब) पति का नाम.... श्री शैतान सिंह राजपुरोहित..
   (स) जन्म तिथि /वर्ष ..... 32 वर्ष...
   (द) राष्ट्रीयता......... भारतीय ....
   (य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी..
   जारी होने की जगह...
   (र) व्यवसाय..............हलवाई..
   (ल) पता... ग्राम बासडा ग्राम पंचायत बोरावड पुलिस थाना मकराना जिला नागौर..
6. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
   श्री भूर सिंह पुत्र श्री लोहडेराम मीणा उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम डेहरिया तहसील नादोती पुलिस थाना नादोती जिला करौली हाल निवास भारत संचार निगम लिमिटेड राजकीय आवास संख्या 8 मकराना जिला नागौर हाल हैड कानि0 नं0 863 पुलिस थाना मकराना जिला नागौर...
7. परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही..
8. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
   ....**20,000 रूपये रिश्वत राशि**...
9. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो)
   ....**20,000 रूपये रिश्वत राशि**...
10. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

दिनांक 13.02.2022 समय 10:38 पी.एम. पर श्रीमान् उप महानिरीक्षक पुलिस महोदय भ्र.नि. ब्यूरो अजमेर ने जरिये दूरभाष श्री राकेश कुमार उप अधीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो, स्पेशल यूनिट–अजमेर के मोबाइल नम्बर 97841–57626 पर वार्ता कर अवगत कराया कि परिवादी श्री अशोक ने मोबाइल नम्बर 97266–59147 से सूचना दी है कि नागौर जिले के मकराना थाने में पदस्थापित हैड कानिस्टेबल उसके बडे भाई बनवारी से उसके विरूद्ध दर्ज प्रकरण में एफ.आर. लगाने के लिये 20,000 (बीस हजार) रूपये की राशि मांग रहा है तथा कल सुबह हैड कानिस्टेबल द्वारा मेरे भाई बनवारी को रिश्वत राशि लाने हेतु फोन करने व थाने बुलाने के लिये कहा है। उक्त सूचना पर श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो अजमेर द्वारा उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी श्री अशोक व उसके बडे भाई श्री बनवारी से सम्पर्क कर कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये। जिस पर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा निर्देशानुसार दिये गये मोबाइल नम्बर 97266–59147 पर उप अधीक्षक पुलिस के मोबाइल नम्बर 9784157626 से वार्ता की गई जिस पर श्री अशोक नाम के व्यक्ति ने अवगत कराया कि मेरे बडे भाई श्री

बनवारी लाल पुत्र श्री शैतान सिह जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम बासड़ा तहसील बोरावड पुलिस थाना मकराना जिला नागौर के विरूद्ध पुलिस थाना मकराना में श्रीमति सोनू कवर ने एक मुकदमा सख्या 29/22 छेडछाड का दर्ज करवा रखा है। जो झूठा है। उक्त मुकदमें में पुलिस थाना मकराना के श्री भूर सिह हैड कानिस्टेबल बनवारी लाल को डरा धमका कर गिरफ्तार करने का भय दिखा रहा है तथा मुकदमें में एफ.आर. देने के बदले में बनवारी लाल से 20,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। हम अपने जायज काम के बदले में व प्रकरण झूठा होने से श्री भूर सिह को रिश्वत राशि नहीं देना चाहते हैं उसे रंगे हाथों पकडवा कर कानूनी कार्यवाही करवाना चाहते हैं। वार्तानुसार परिवादी श्री अशोक को श्री बनवारी लाल के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु कल दिनांक 14.02.2022 को मकराना जिला नागौर पर उपस्थित मिलने के निर्देश प्रदान किये। समय करीब 11:21 पी.एम. पर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय के श्री कन्हैयालाल स.उ.नि. को जरिये दूरभाष वार्ता कर श्रीमान् उपमहानिरीक्षक द्वारा दी गई सूचना के बारे में जानकारी दी तथा परिवादी श्री अशोक के मोबाइल नम्बर 97266–59147 उपलब्ध करवाये। श्री कन्हैयालाल स.उ.नि. को परिवादी से सम्पर्क कर नियत समय पर कल दिनांक 14.02.2022 को कार्यालय से डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड निकलवाकर मकराना जाकर परिवादी श्री अशोक व उसके बडे भाई श्री बनवारी लाल से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही करने के लिए पाबन्द कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये।

–:: कार्यवाही पुलिस ::–

दिनांक 13.02.22 को प्राप्त मौखिक ईत्तला पर 14.02.2022 उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री कन्हैयालाल स.उ.नि. को कार्यालय के मालखाने से सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर व मैमोरी कार्ड इश्यू करवा कर प्राईवेट वाहन से कार्यालय के वाहन चालक श्री मनीष कुमार को हमराह लेकर मकराना जाने तथा परिवादी श्री अशोक एवं उसके बडे भाई श्री बनवारी लाल से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही करने के लिए मकराना रवाना होने एवं सम्पूर्ण हालात से अवगत कराने के निर्देश प्रदान कर रवाना किया। श्री कन्हैयालाल स.उ.नि. द्वारा उप अधीक्षक पुलिस के मोबाइल फोन पर वार्ता कर अवगत कराया कि "मैं व श्री मनीष कुमार चालक माफिक निर्देश मालखाने से सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर व मैमोरी कार्ड इश्यू करवा कर प्राईवेट वाहन से कार्यालय से रवाना होकर कस्बा मकराना पहुॅचे। जहां परिवादी श्री अशोक के मोबाइल नम्बर से वार्ता की गई तो उन्होंने मकराना–खाटू–नागौर मार्ग न्यू हाईवे पहुॅचने के लिए बताया। जिस पर दो व्यक्ति एक मोटर साईकिल पर सवार होकर मेरे मोबाइल नम्बर पर वार्ता कर मकराना–खाटू–नागौर मार्ग न्यू हाईवे पर पहुॅचे। जिनसे श्री कन्हैयालाल ए.एस.आई. ने वार्ता की। उनमें से एक व्यक्ति ने अपना नाम श्री अशोक कुमार व उसके साथ आये हुए अन्य व्यक्ति ने अपना नाम श्री बनवारी लाल पुत्र श्री शैतान सिह जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम बासड़ा तहसील बोरावड पुलिस थाना मकराना जिला नागौर होना बताते हुए पुलिस थाना मकराना में दर्ज प्रकरण के बाबत एक लिखित प्रार्थना पत्र श्री बनवारी लाल ने प्रस्तुत किया। जिस पर स0उ0नि0 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के बाबत श्री बनवारी लाल व उसके भाई श्री अशोक कुमार से पूछताछ करी तो श्री बनवारी लाल ने बताया कि " मेरे खिलाफ पुलिस थाना मकराना में श्रीमति सोनू कवर ने मुकदमा सख्या 29/22 छेडछाड का मुकदमा दर्ज करवा रखा है जो झूठा है। उक्त मुकदमें की जांच पुलिस थाना मकराना के हैड कानिस्टेबल श्री भूर सिह जी जांच कर रहे है। उक्त मुकदमे में मेरे व अन्य से पूछताछ भी हो चुकी है गवाह के बयान भी लिये जा चुके हैं। मुकदमा श्रीमति सोनू कंवर ने झूठा दर्ज कराया है उसके साक्ष्य भी प्रस्तुत कर दिये हैं परन्तु श्री भूर सिह मुझे बार बार टेलीफोन कर जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं तथा मुकदमें में एफआर देने के बदले में मेरे से 20,000 रूपये रिश्वत राशि